बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

दिनांक–26.11.2026

कृषि विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	विज्ञापन सं.	पदनाम एवं वेतनमान	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतीनी हेतु आरक्षित (2%) पद	दिव्यांग हेतु आरक्षित (4%) पद
			कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या				
1.	17/2026	सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) वेतन स्तर–9	25	09	04	01	00	00	07	02	09	03	05	02	00	50	01	VI-01 DD-01 OH-00 MD-00
2.	18/2026	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वेतन स्तर–9	14	05	06	02	01	00	07	02	04	01	03	01	01	36	01	VI-01 DD-00 OH-00 MD-00
3.	19/2026	सहायक नियंत्रक (माप एवं तौल) वेतन स्तर–9	10	04	04	01	01	00	04	01	03	01	03	01	01	26	01	VI-01 DD-00 OH-00 MD-00
4.	20/2026	सहायक निदेशक (रसायन) वेतन स्तर–9	08	03	04	01	00	00	02	00	04	01	02	00	01	21	00	VI-00 DD-00 OH-00 MD-01
5.	21/2026	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) वेतन स्तर–9	10	04	00	00	01	00	01	00	01	00	01	00	00	14	00	VI-00 DD-00 OH-01 MD-00

नोटः–(i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी हैः– VI – दृष्टि दिव्यांग, DD – मूक बधिर दिव्यांग, OH – चलन दिव्यांग, MD – मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।

(ii) अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र.सं.	कोटि एवं पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	बिहार कृषि सेवा कोटि–2 सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री।
2.	बिहार कृषि सेवा कोटि–9 सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय /संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित के साथ स्नातक/कृषि विज्ञान में कृषि सांख्यिकी की डिग्री। **Degree of Bachelor in Statistics/Bachelor in Mathematics/Bachelor in Agriculture Statistics in Agriculture Science from any recognized Agriculture University/Institute/Central University.**
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि–8 सहायक नियंत्रक (माप एवं तौल)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी के साथ)/ अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री। **Degree in Bachelor in Science (with Physics)/Engineering/Technology from any recognized University/ Institute/National University.**
4.	बिहार कृषि सेवा कोटि–3 सहायक निदेशक (रसायन)	किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक/विज्ञान में स्नातक, रसायन के साथ।
5.	बिहार कृषि सेवा कोटि–5 सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से Elective Plant Protection (पौधा संरक्षण) के साथ में स्नातक की डिग्री।

3. उम्र सीमा – 01.08.2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।

परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो, जो दिनांक–01.08.2026 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक न हो।

(i) विज्ञापन संख्या–17/2026 एवं 21/2026 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 01.08.2024 से 01.08.2026 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(a) विज्ञापन संख्या–18/2026 एवं 19/2026 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–01.08.1992 से 01.08.2026 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(b) विज्ञापन संख्या–20/2026 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–01.08.2015 से 01.08.2026 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–22218, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं (संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को मिलाकर) में अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि 12.12.2022 के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण–पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. चयन का आधार – लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर।

(i) लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी। कोटि एवं विषयों के नाम, पूर्णांक, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे:–

क्र. सं.	कोटि एवं विषय	पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या–17/2026 से 21/2026 तक के लिए हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेवसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
2.	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि–2 कृषि अभियंत्रण (Agri. Engg.)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-2 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agri. Engg. के लिये निर्धारित किया गया हैं। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	

4.	बिहार कृषि सेवा कोटि–9 (सांख्यिकी) सांख्यिकी/गणित	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेवसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
5.	बिहार कृषि सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) विज्ञान (भौतिकी)/अभियंत्रण /प्रौद्योगिकी	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेवसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
6.	बिहार कृषि सेवा कोटि–3 रसायन (Chemistry)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	रसायन का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-3 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Chemistry के लिये निर्धारित किया गया हैं। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेवसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
7.	बिहार कृषि सेवा कोटि–5 पौधा संरक्षण (Plant Protection)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	पौधा संरक्षण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-5 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Plant Protection के लिये निर्धारित किया गया हैं। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	

➢ उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। सामान्य हिन्दी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक होगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374 दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15937, दिनांक–01.09.2026 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। **लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना चयन के लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि यह न्यूनतम अर्हता है।**

(iii) प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए $^{1}/_{3}$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।

(iv) सामान्य ज्ञान के 100 अंक तथा संबंधित विषय के दो पत्रों (प्रथम पत्र–200 अंक एवं द्वितीय पत्र–200 अंक) कुल–500 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढ़ाई गुणा होगी। कोटिवार समान कट–ऑफ–अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा।

➢ **चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–**

(क) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता – 75 अंक

(ख) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर
समान पद पर किये गये कार्य अवधि की अधिमानता – 25 अंक
(संविदा नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होगी)।

नोटः–(i) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भुगतान के आधार पर निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार किया जायेगा। **इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की तिथि–26.11.2026 तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जायेगी।**

(ii) सहायक नियंत्रक (माप एवं तौल) हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की तिथि 26.11.2026 के पूर्व तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जायेगी।

➢ उदाहरणस्वरूप, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) का कुल पूर्णांक 550 है एवं कोई भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी इसके विरूद्ध 300 अंक प्राप्त करते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:–

$$\frac{\text{300 (कुल प्राप्तांक)}}{\text{550 (कुल पूर्णांक)}} \times 75 + \text{प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक अधिमानता की अंक होगी।}$$

इस प्रकार 40.90 अंक + अगर कोई संविदा कर्मी नियमावली के अनुरूप 2 वर्ष समान पद पर कार्य किये हैं, तो 40.90+10=कुल 50.90 को उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर अधिमानता दी जायेगी।

(v) साक्षात्कारः–लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।

(vi) लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(vii) मेधा सूची :–लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के योग एवं समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गई कार्य अवधि के लिए अधिमानता अंक देते हुए मेधा सूची तैयार की जायेगी। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक के अनुसार मेधा–क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(viii) इस विज्ञापन के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

5. आरक्षणः–

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमो के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक– 26.02.2019 एवं पत्रांक–12123, दिनांक–23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2003 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरूष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :–

क्र॰सं॰	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (Backward Class ladies)	BCL	06
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(vi)(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–8962, दिनांक–21.05.2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–962, दिनांक– 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability) को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा– 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता **(PwBD)** (40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2568, दिनांक– 11.02.2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए **श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।** जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–12575, दिनांक–09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–12.01.2027 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोटः–(a) <u>ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।</u>

(b) आयोग द्वारा साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii) स्नातक का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका–2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(iii) स्नातक का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका–2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(iv) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्यरत अवधि का विनिश्चिय हेतु संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।

(viii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र। (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए)।

(x) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–10668, दिनांक–29.06.2022 एवं पत्रांक–2568, दिनांक–11.02.2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र।

(xii) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(xiii) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xiv) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।

(xv) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो।

(xvii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

(xviii) लिखित परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

6. <u>शुल्कः–</u>

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–15568, दिनांक–21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क– 100/– (एक सौ रूपये)।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोटः–वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/–(दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैंः–</u> (i)

1.	भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि	15.12.2026
2.	भुगतान की अंतिम तिथि	11.01.2027
3.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	15.12.2026
4.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	12.01.2027

(ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) <u>ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण–पत्र/कागजात को (जो स्पष्ट एवं पठनीय हो) PDF Format में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।</u>

(iv) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, संविदा आधारित अनुभव तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय

ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दियाँ गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

8. <u>ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:–</u>

A. <u>One Time Registration (OTR)</u>

(i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट https://bpsconline.bihar.gov.in पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है, जिनका Already OTR हो चुका है, उन्हें OTR करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।

(iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।

(iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।

(v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखे।

(vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।

(vii) **एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।**

(viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।

(ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाईल नं./ईमेल.आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर Login करेंगे।

नोट:–

(i) **OTR के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पैन संख्या, ड्राईविंग लाईसेंस संख्या, आधार संख्या, मोबाईल संख्या, ईमेल आई.डी. व जन्मतिथि में परिवर्त्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।**

(ii) **आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे Digilocker Account के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।**

B. <u>INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-</u>

(i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।

(iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

C. <u>INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-</u>

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:–

Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)

Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)

Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)

Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)

Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)

Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो/हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

Step 1: व्यक्तिगत जानकारी : इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 2: पता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 3: अन्य जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप–डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

Step 6: फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉकः इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150–220 Pixel के बीच और Height 250–320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोटः–

(i) One Time Registration (OTR) के उपरान्त Profile Tab के अन्तर्गत भरी गयी प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने Profile को Unlock करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए Update कर सकते हैं।

(ii) Profile Creation के बाद संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन Submit कर देने के उपरान्त आवेदन में अंकित किसी सूचना में संशोधन का प्रावधान नहीं है। Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।

(iii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION

(i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें Pay Fees Button Click करने पर एक Confirmation Pop-up आयेगा, जिसमें Terms & Conditions Accept करने के बाद पद चयन का विकल्प आयेगा, जिसमें अभ्यर्थी को पद का चयन करना होगा एवं उसके नीचे Online Payment और SBI Payment Gateway का चयन कर Preview करने के पश्चात् Confirm & Pay Option पर Click कर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। Successful Payment होने के बाद New Application Tab में उक्त विज्ञापन के Apply Button पर click करने पर Application Form खुलेगा। जिसमें Proceed to Application Button पर click करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit Application Button पर click करके Application Form Submit करेंगे।

(ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।

(iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः–

(a) अगर अभ्यर्थी ने किसी भी विज्ञापन के लिए भुगतान किया हुआ है तो उनका **Profile Lock** रहेगा एवं उस विज्ञापन के **Final Application Submit** होने के बाद ही **Profile** किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए **Unlock** होगा। अगर अभ्यर्थी **Profile** में किसी **Details** को **Change** करने के बाद ही **Application Submit** करना चाहते है तो अभ्यर्थी को पहले अपना **Payment Cancel** करना होगा। **Application Form** में **Proceed to Application Button Click** करने के बाद **Form** में सबसे नीचे **Cancel Payment Button** का **Option** उपलब्ध होगा।

(b) **Payment** करने के उपरान्त यदि आपका **Payment Successful** नहीं होता है, तो **Check Payment Status Button** पर **Click** करेंगे, यदि **Bank** से आपका **Payment Success** मिलता है, तो आपको **Application** का **Link** मिल जायेगा। **Payment Fail** होने के क्रम में आपको फिर से **Payment** कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

(c) **Cancel Payment** या **Application Form Cancel** करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

(d) ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।

(v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित नहीं करेंगे।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर **Webcam** के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(ix) इस विज्ञापन के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

E. MY ACCOUNT TAB

(i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद **Profile** में किया गया कोई भी परिवर्त्तन मान्य नहीं होगा।

(iii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(iv) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Application Number, Application ID** एवं **Bar Code** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(v) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को **My Account Tab** से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

Note:- यदि आवेदक को **OTR** एवं **Application Form** भरने में कोई शिकायत है, तो **Grievance Tab** में उसका विवरण दे सकते हैं।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः **My Account Tab** पर **Click** करेंगे, तत्पश्चात् **Action** के अन्दर **View Option** पर **Click** करने पर **Application Print**

का **Option** दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
11. शैक्षिक योग्यता एवं संविदागत अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

21/11/22

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

CANDIDATE GUIDE

WEBSITE GUIDE

Public Result

Govt jobs, results & exam updates

Public Result is an independent information portal for Sarkari Naukri, online forms, Sarkari Result and exam updates in India. Candidates and students can find recruitment notices, application deadlines, admit cards, answer keys, board exam updates, admissions and scholarships, with links to issuing authorities where available.

Visit PublicResult.in >

BROWSE UPDATES

01 **Recruitment & Jobs**

Browse government job notices by department and post. Check vacancy details, eligibility, age limits and selection stages before applying.

Vacancies >

02 **Online Forms**

Find application links for open recruitments. Check registration dates, application fees, payment deadlines and correction windows.

Online Forms >

03 **Sarkari Results & Board Exams**

Check recruitment results, merit lists, cutoffs and scorecards. Find Class 10 and 12 exam schedules and result notices as boards release them.

Results >

04 **Admit Cards & Exam Dates**

Find hall ticket releases, exam city notices and revised schedules. Check when your admit card is available and how to download it.

Admit Cards >

05 **Answer Keys**

Check provisional and final answer key notices. When objections are invited, find the submission window and instructions in the exam update.

Answer Keys >

06 **Admissions & Scholarships**

Look for admission forms, counselling and scholarship application or renewal notices on the homepage. Check each notice for eligibility and important dates.

Homepage >

DISCLAIMER

PublicResult.in is a privately operated information website. It is not a government website and is not owned, operated, endorsed by, or affiliated with any central or state government, department, or recruitment board. Always verify details with the issuing authority before applying or paying fees.